सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 37/2015

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. हरबंश कौर पत्नी श्री जरनैल सिंह उर्फ मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जबर ईकबाल सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह उर्फ मेजर सिंह जाति जटसिख साकिन 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. ग्राम पंचायत साहिबसिंहवाला चक 18 जैड पंचायत समिति श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार राजस्व चूनावढ दिनांक 10.06.1992 को जिसकी रूह से अपीलांट के पिता की जमीन का ईन्तकाल रेस्पोडेण्टान के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :

1. श्री ओ.पी. बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री बलकरण सिंह बराड अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: **दिनांक :– 15.02.2019**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा उजागर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह को चक 18 जैड में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 3 में 5.10 बीघा रकबा खातेदारी है उजागर सिंह मरने के बाद उसके वारिसान के नाम ईन्तकाल किया गया जिसमें अपीलांट के पिता का नाम ही दर्ज है। अपीलांट की दादी तथा जरनैल सिंह का स्वर्गवास होने के बाद जंगीर कौर के हिस्सा का ईन्तकाल उसके सभी लड़के व लड़कियों के नाम किया जाना चाहिए था लेकिन बिना किसी आधार पर बिना दस्तावेज के आधार पर तमाम जमीन का ईन्तकाल रेस्पोडेण्टान के नाम दर्ज किया गया जो कानूनी रूप से गलत है। आदेश पारित करते समय किसी कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा इन्तकाल में केवल यही नोट अंकित है कि जरनैल सिंह का स्वर्गवास हो गया उसके वारिसान के नाम ईन्तकाल तस्दीक किया जाता है जबकि अपीलांट के पिता का नाम जो पूर्व ईन्तकाल में चला आ रहा है वह ईन्तकाल आगे दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन बिना किसी आधार पर अपीलांट का हिस्सा बिना किसी आदेश समाप्त करके अपीलांट के पिता का हिस्सा ईन्तकाल में रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज कर दिया जो कि कानून गलत है तथा कानूनी खिलाफ है। आदेश पारित करते समय किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलांट के पिता को नहीं दी गई । आदेश पारित करते समय लैण्ड रैवन्यू एक्ट की धारा 118 से 125 की पालना नहीं की गई। अपीलांट के पिता जीवित थे उस समय वे ही जमीन की देखभाल करते थे उनको इस बात की जानकारी थी अब अपीलांट के पिता मरने के बाद अपीलांट द्वारा अपने दादा की जमीन अपने नाम करवाने के लिए प्रार्थना

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पत्र प्रस्तुत दिनांक 18.04.2015 को किया तो प्रार्थना पत्र जांच हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने बताया कि आपके पिता के नाम कोई जमीन नहीं है, इसलिए आपके नाम रकबा दर्ज नहीं किया जा सकता। अपीलांट को पता चलते ही नकल प्रार्थना पत्र पेश किया नकल दिनांक 21.04.2015 को मिली नकले मिलते ही अपने वकील से सलाह मश्वरा करके आज रोज अपील पेश कर रहा है जो ईल्म से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.06.1992 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट के दादा उजागर सिंह पुत्र श्री केहर सिंह को चक 18 जैड में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 3 में 5.10 बीघा रकबा खातेदारी है उजागर सिंह मरने के बाद उसके वारिसान के नाम ईन्तकाल किया गया जिसमें अपीलांट के पिता का नाम ही दर्ज है। अपीलांट की दादी तथा जरनैल सिंह का स्वर्गवास होने के बाद जंगीर कौर के हिस्सा का ईन्तकाल उसके सभी लड़के व लड़कियों के नाम किया जाना चाहिए था लेकिन बिना किसी आधार पर बिना दस्तावेज के आधार पर तमाम जमीन का ईन्तकाल रेस्पोडेण्टान के नाम दर्ज किया गया जो कानूनी रूप से गलत है। आदेश पारित करते समय किसी कानूनी प्रकिया की पालना नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा इन्तकाल में केवल यही नोट अंकित है कि जरनैल सिंह का स्वर्गवास हो गया उसके वारिसान के नाम ईन्तकाल तस्दीक किया जाता है जबकि अपीलांट के पिता का नाम जो पूर्व ईन्तकाल में चला आ रहा है वह ईन्तकाल आगे दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन बिना किसी आधार पर अपीलांट का हिस्सा बिना किसी आदेश समाप्त करके अपीलांट के पिता का हिस्सा ईन्तकाल में रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज कर दिया जो कि कानून गलत है तथा कानूनी खिलाफ है। आदेश पारित करते समय किसी प्रकार की कोई सूचना अपीलांट के पिता को नहीं दी गई । आदेश पारित करते समय लैण्ड रैवन्यू एक्ट की धारा 118 से 125 की पालना नहीं की गई। अपीलांट के पिता जीवित थे उस समय वे ही जमीन की देखभाल करते थे उनको इस बात की जानकारी थी अब अपीलांट के पिता मरने के बाद अपीलांट द्वारा अपने दादा की जमीन अपने नाम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 18.04.2015 को किया तो प्रार्थना पत्र जांच हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी ने बताया कि आपके पिता के नाम कोई जमीन नहीं है, इसलिए आपके नाम रकबा दर्ज नहीं किया जा सकता। लिहाजा अपील स्वीकार की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.06.1992 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडण्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के ससुर व रेस्पो0 सख्या 02 के दादा उजागर सिंह के 5 पुत्र जरनैल सिंह, गुरचरण सिंह, हरबंस सिंह, नक्षत्र सिंह ,नाहर सिंह व दो पुत्रियां ज्ञान कौर व छिन्द्रपाल कौर पैदा हुए इनमें से अपीलांट के पिता गुरचरण सिंह व चाचा जरनैल सिंह का देहान्त हो चुका है, जरनैल सिंह के रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 विधिक वारिसान है। अपीलांट द्वारा श्रीमान जी के समक्ष उप तहसीलदार राजस्व चूनावढ़ के आदेश इंतकाल दिनांक 10.06.1992 के विरूद्व अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील लगभग 23 वर्ष के पश्चात् पेश की है जो कि मियाद बाहर है, इस आधार पर भी अपील खारिज होने योग्य है। जेरकाल अपील इंतकाल जरनैल सिंह के फौत होने पर जरनैल सिंह का 1/5 हिस्सा का इंतकाल उसके विधिक वारिसान के नाम से

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दर्ज किया है, शेष रकबा बदस्तूर है जबकि जैरकार अपील में यह तथ्य अंकित है कि उक्त इंतकाल दर्ज करते समय मेरे पिता का नाम छोड़ दिया और अब मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया इसलिए रेस्पोडेन्ट द्वारा मुझे मेरे पिता का हिस्सा नहीं दिया जबकि वास्तविक स्थिति उक्त इंतकाल से ही स्पष्ट हो रही है कि अपीलांट के पिता का हिस्सा व अन्य हिस्सेदारो का हिस्सा बदस्तूर है। अपीलांट के पांचो पुत्रो के पास लगभग 150 बीघा कृषि भूमि चक 18 जैड में थी जिसका समयानुसार आपसी सुहोद्रेपूर्ण वातावरण में कृषि भूमि का पांचों पुत्रों में बंटवारा किया हुआ था उसी अनुसार कब्जा काश्त थी। अपीलांट के पिता गुरचरण सिंह, चाचा हरबंस सिंह, नक्षत्र सिंह, नाहर सिंह व मृतक जरनैल सिंह के वारिसान जबर इंकबाल सिंह, हरबंस कौर द्वारा एक वाद पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर के समक्ष अनवानी गुरचरण सिंह आदि बनाम ज्ञान कौर आदि दावा सख्या 155/97 पेश किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.11.1998 को आदेश पारित कर डिक्री जारी की गई जिसमें अपीलांट के पिता गुरचरण सिंह को खाता सख्या 47/36 मु.न. 1 के 25.00 बीघा व खाता संख्या 39/39 के मु.नं. 3 के किला नम्बर 13 में 10 बिस्वा, 14 ता 17 सालम , 18 में 10 बिस्वा व 25 में 10 बिस्वा कुल 30.10 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 को चक 18 जैड के खाता संख्या 20/05 के मु.नं. 8 के 25.00 बीघा व खाता सख्या 39/39 मु.नं. 3 के किला नम्बर 20 में 16 बिस्वा, किला नम्बर 21 ता 24 सालम, व 25 में 10 बिस्वा कुल 30.06 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई उसी अनुसार कब्जा काश्त है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 कनाडा में रहते है। अपीलांट द्वारा बिना वजह ही रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 को तंग व परेशान करने की बदनियति से स्वच्छ न्यायिक प्रकिया की आड़ में उक्त अपील लालच के वशीभूत होकर पेश की है, जो बिना तथ्यों के आधार पर तथा स्वतः ही खारिज होने योग्य है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि अपीलांट के पिता द्वारा उसको प्राप्त कृषि भूमि में से लगभग कृषि भूमि का बेचान कर दिया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर के आदेश व डिक्री की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर दस्तावेज फहरिस्त के साथ पेश की जा रही है। अपीलांट का कोई हिस्सा बनता है तो वह सक्षम न्यायालय में अपना नियमित वाद पत्र पेश कर प्राप्त कर सकता है। रेस्पोडेन्ट के पास उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर के डिक्री दिनांक 19.11.1998 के आधार पर चक 18 जैड के खाता सख्या 20/05 के मु.नं. 8 के 25.00 बीघा व खाता सख्या 39/39 मु.नं. 3 के किला नम्बर 20 में 16 बिस्वा, किला नम्बर 21 ता 24 सालम, व 25 में 10 बिस्वा कुल 30.06 बिस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई है जिसका उपयोग–उपभोग रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 द्वारा शांतिपूर्वक किया जा रहा है। उक्त अपील इसलिए भी चलने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में कोई भी कृषि भूमि दर्ज नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट की अपील सव्यय खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम 18 जैड तहसील श्रीगंगानगर के अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 114 आदेश स्वीकृति दिनांक 10.06.1992 जरनैल सिंह की फोतेदगी पर उनके वारिसों के नाम विरासतन भरा गया है। इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अलावा भी मुश्तरका खाते में कई और खातेदार है और कुल रकबा मुरब्बा नम्बर 3,28 व 29 में 247.50 हिस्सा में 62.25 बीघा दर्ज

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है। इसमें जरनैल सिंह का 1/5 हिस्सा स्पष्ट है जो कि नामांतरकरण में अंकित है, शेष खाता बदस्तूर जारी रहा है। अपीलांट के पिता गुरचरण सिंह का हिस्सा भी बदस्तूर रहा। इसकी पुष्टि इस नामांतरकरण के पश्चात विवादित आराजी की चौसाला जमबंदी सम्वत् 2054 से 2057 से होती है। उक्त जमाबन्दी का खाता संख्या 38 में स्पष्ट अंकित है **कि –" गुरचरण सिंह, हरबंश सिंह, नक्षत्र सिंह, नाहर सिंह पिसरान उजागर सिंह ब.हि.बराबर 198 हि0 , हरबंश कौर बेवा जरनैल सिंह उर्फ मेजर सिंह, जबरइकबाल सिंह वल्द जरनैल सिंह उर्फ मेजर सिंह , वीरपाल कौर दु0 जरनैल सिंह उर्फ मेजर सिंह ब.हि. बराबर 49.50 हिस्सा कौम जटसिख साकिन देह खातेदा**र। इस प्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण के प्रभाव से जमाबंदी में जो अमल दरामद हुआ है वह सही है। इस नामांतरकरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई है। इसके अलावा भी प्रस्तुत अभिलेख अर्जी दावा सख्या 155/1997 अन्तर्गत धारा 88–91–53 आर.टी.एक्ट गुरचरण सिंह वगैरा बनाम ज्ञानकौर वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 19.11.1998 के अवलोकन से भी यही पाया जाता है कि तत्समय अपीलांट के पिता गुरचरण सिंह ने अपीलाधीन नामांतरकरण में अंकित विवादित आराजी की घोषणा व बंटवारे का दावा डिक्री कराया था। दावे में अपीलांट के पिता को मुश्तरका खाते में बाद विभाजन डिक्री मु.न. 3 व 25 में भूमि हिस्से में मिली थी। मामले में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के आलोक में बाद विवेचन यही निष्कर्ष निकलता है कि अपीलाधीन नामांतरकरण सही एवं विधिसम्मत् पाया गया है, इसके प्रभाव से अपीलांट के पिता तथा तत्पश्चात उसके हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि इस नामांतरकरण के अमल दरामद पश्चात भी अपीलांट के पिता के पास हिस्सानुसार भूमि दर्ज खाते थी, जिसे स्वयं ने दावा कर डिक्री से पृथक कराई। ऐसी सूरत में अपील आधारहीन एवं तथ्यों से परे होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/2/19

(नखतदान बारहठ)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर